

22 फरवरी 2021 के विनियमन (ईयू) 2021/279 को लागू करने वाला आयोग यूरोपीय संघ

के विनियमन (ईयू)

2018/848 के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत नियम निर्धारित करता है

संसद और परिषद द्वारा जैविक उत्पादन और जैविक उत्पादों की लेबलिंग में पता लगाने और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण और अन्य उपायों पर विचार-विमर्श

(ईईए प्रासंगिकता वाला पाठ)

यूरोपीय आयोग,

यूरोपीय संघ के कामकाज पर संधि को ध्यान में रखते हुए,

जैविक उत्पादन और जैविक उत्पादों की लेबलिंग पर यूरोपीय संसद और परिषद के 30 मई 2018 के विनियमन (ईयू) 2018/848 को ध्यान में रखते हुए और परिषद विनियमन (ईसी) संख्या 834/2007 (1) को निरस्त करते हुए, और विशेष रूप से

अनुच्छेद 28(3)(ए), 29(8)(ए), 30(8), 32(5), 36(4), 38(9), 41(5) और 43(7),

जबकि:

- (1) विनियमन (ईयू) 2018/848 का अध्याय III ऑपरेटरों के लिए सामान्य उत्पादन नियम निर्धारित करता है, जिसमें गैर-अधिकृत उत्पादों और पदार्थों की उपस्थिति से बचने के लिए एहतियाती उपाय और गैर-अधिकृत उत्पादों या पदार्थों की उपस्थिति की स्थिति में किए जाने वाले उपाय शामिल हैं। उस विनियमन के कार्यान्वयन के लिए सामंजस्यपूर्ण स्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए, कुछ अतिरिक्त नियम निर्धारित किए जाने चाहिए।
- (2) विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुच्छेद 28 में निर्दिष्ट गैर-अधिकृत उत्पादों और पदार्थों की उपस्थिति से बचने के लिए ऑपरेटरों द्वारा उठाए जाने वाले एहतियाती उपायों के महत्व को ध्यान में रखते हुए, प्रक्रियात्मक कदम स्थापित करना उचित है और प्रासंगिक दस्तावेज प्रदान किए जाने चाहिए, यदि ऑपरेटरों को संदेह है कि गैर-अधिकृत उत्पादों या पदार्थों की उपस्थिति के कारण वह उत्पाद जिसे जैविक या इन-कन्वर्जन उत्पाद के रूप में उपयोग या विपणन किया जाना है, वह विनियमन (ईयू) 2018/848 का अनुपालन नहीं करता है।
- (3) कार्बनिक या रूपांतरण उत्पादों में गैर-अधिकृत उत्पादों या पदार्थों की उपस्थिति की स्थिति में विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुच्छेद 29 (1) (ए) में संदर्भित आधिकारिक जांच के संबंध में पूरे संघ में सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए, आधिकारिक जांच करते समय निर्धारित किए जाने वाले तत्वों को कवर करने वाले आगे के नियम, आधिकारिक जांच के अपेक्षित परिणाम और साथ ही न्यूनतम रिपोर्टिंग दायित्व स्थापित किए जाने चाहिए।
- (4) विनियमन (ईयू) 2018/848 के अध्याय IV में जैविक और इन-कन्वर्जन उत्पादों की लेबलिंग से संबंधित विशिष्ट प्रावधान दिए गए हैं। उस विनियमन के कार्यान्वयन के लिए समान स्थितियाँ सुनिश्चित करने के लिए, लेबल पर कुछ संकेतों के स्थान और उपस्थिति के संबंध में कुछ अतिरिक्त नियम बनाए जाने चाहिए।
- (5) विनियमन (ईयू) 2018/848 का अध्याय V ऑपरेटरों और ऑपरेटरों के समूहों के प्रमाणन के लिए नियम निर्धारित करता है। उस विनियमन के कार्यान्वयन के लिए सामंजस्यपूर्ण स्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए, ऑपरेटरों के समूह के प्रमाणन के लिए कुछ अतिरिक्त नियम निर्धारित किए जाने चाहिए।
- (6) आंतरिक नियंत्रण (ICS) के लिए सिस्टम की दक्षता और सस्ती परिचालन लागत के हित में, ऑपरेटरों के एक समूह के अधिकतम आकार के लिए प्रावधान करना उचित है। इस सीमा को निर्धारित करके, यह उम्मीद की जाती है कि ICS आंतरिक नियंत्रण और आवश्यक प्रशिक्षण के माध्यम से विनियमन (EU) 2018/848 के साथ समूह के सभी सदस्यों के अनुपालन को सुनिश्चित कर सकता है। इसके अलावा, सक्षम प्राधिकारी या, जहां उपयुक्त हो, नियंत्रण प्राधिकरण या नियंत्रण निकाय जो समूह को प्रमाणित करता है, उचित संख्या में सदस्यों का पुनः निरीक्षण कर सकता है। आकार की सीमा सदस्यों की एक अद्यतन सूची, नियंत्रण अधिकारियों या नियंत्रण निकायों के साथ सूचनाओं के त्वरित और नियमित आदान-प्रदान के लिए अतिरिक्त गारंटी प्रदान करेगी और पर्याप्त उपायों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगी। हालांकि, अधिकतम आकार को ध्यान में रखना चाहिए कि ऑपरेटरों का एक समूह योग्य कर्मचारियों पर निर्भर एक कुशल ICS स्थापित करने के लिए पर्याप्त संसाधन उत्पन्न करने में सक्षम होना चाहिए।

- (7) अनुपालन का साक्ष्य प्रदान करने तथा सूचना और ज्ञान के आदान-प्रदान की अनुमति देने के लिए, दस्तावेजों और अभिलेखों की सूची निर्धारित की जानी चाहिए, जिसे ऑपरेटरों के एक समूह को आईसीएस के प्रयोजनों के लिए रखना होगा।
- (8) आईसीएस को ऑपरेटरों के समूह के प्रमाणन का आधार बनाना चाहिए। इसलिए, आईसीएस प्रबंधकों को सक्षम प्राधिकारी या, जहां उपयुक्त हो, नियंत्रण प्राधिकरण या नियंत्रण निकाय को सूचित करना चाहिए जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में प्रमाण पत्र प्रदान करता है, जैसे कि गैर-अनुपालन का संदेह, सदस्यों का निलंबन या वापसी और उत्पादों को जैविक या इन-कन्वर्ज़न उत्पादों के रूप में बाज़ार में रखने पर कोई प्रतिबंध।
- (9) विनियमन (ईयू) 2018/848 का अध्याय VI आधिकारिक नियंत्रण और अन्य आधिकारिक गतिविधियों के लिए नियम निर्धारित करता है। उस विनियमन के कार्यान्वयन के लिए सामंजस्यपूर्ण स्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए, कुछ अतिरिक्त नियम निर्धारित किए जाने चाहिए।
- (10) सदस्य राज्यों में वर्तमान राष्ट्रीय नियंत्रण प्रणालियों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, न्यूनतम पर नियम आधिकारिक नियंत्रण और नमूनाकरण के लिए प्रतिशत स्थापित किया जाना चाहिए।
- (11) सदस्य राज्यों में उपायों की राष्ट्रीय सूची के वर्तमान अनुप्रयोग में पर्याप्त विचलन को समाप्त करने के उद्देश्य से, उपायों की सूची के लिए एक सामान्य टेम्पलेट स्थापित किया जाना चाहिए और गैर-अनुपालन के वर्गीकरण और उपयुक्त उपायों के बारे में आगे के दिशानिर्देश प्रदान किए जाने चाहिए।
- (12) गैर-अनुपालन के किसी भी संदेह या किसी भी स्थापित गैर-अनुपालन की जानकारी जो जैविक या इन-रूपांतरण उत्पादों की अखंडता को प्रभावित करती है, सदस्य राज्यों और आयोग के बीच सीधे और यथासंभव प्रभावी रूप से साझा की जानी चाहिए, मुख्य रूप से सभी संबंधित सक्षम अधिकारियों को आधिकारिक जांच करने और अनुच्छेद 29(1) और (2), अनुच्छेद 41(1), (2) और (3) और विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुच्छेद 42 में आवश्यक उपायों को लागू करने की अनुमति देने के लिए। इसके अलावा, जैविक खेती सूचना प्रणाली की कार्यात्मकता सहित उस जानकारी को साझा करने के लिए विवरण और प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट करना उचित है। उस संदर्भ में, इस विनियमन को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि किसी भी संदेह या स्थापित गैर-अनुपालन के मामले में जो नियंत्रण प्राधिकरण या नियंत्रण निकाय द्वारा खोजे गए जैविक या इन-रूपांतरण उत्पादों की अखंडता को प्रभावित करता है अंत में, इस विनियमन में यह निर्दिष्ट किया जाना चाहिए कि कौन सी जानकारी कम से कम नियंत्रण प्राधिकारियों और नियंत्रण निकायों द्वारा अन्य नियंत्रण प्राधिकारियों और नियंत्रण निकायों और उनके सक्षम प्राधिकारियों के साथ साझा की जानी चाहिए और सक्षम प्राधिकारियों के लिए यह दायित्व निर्धारित किया जाना चाहिए कि वे अपने क्षेत्र पर सूचना के ऐसे आदान-प्रदान को सक्षम करने के लिए उचित उपाय करें और प्रलेखित प्रक्रियाएं स्थापित करें।
- (13) परिषद विनियमन (ईसी) संख्या 834/2007 (2) और आयोग विनियमन (ईसी) संख्या 889/2008 (3) और (ईसी) संख्या 1235/2008 (4) के अनुपालन में काम करने वाले तीसरे देशों के ऑपरेटरों के समूहों में इस विनियमन द्वारा निर्धारित अधिकतम आकार की तुलना में काफी अधिक सदस्य हो सकते हैं। इस नई आवश्यकता का अनुपालन करने वाले ऑपरेटरों के नए समूहों की स्थापना से संबंधित कानूनी इकाई, एक आईसीएस और एक नियंत्रण प्राधिकरण या नियंत्रण निकाय द्वारा प्रमाणन के लिए आवश्यक तत्वों की स्थापना के लिए ठोस अनुकूलन हो सकते हैं। इसलिए, ऑपरेटरों के उन समूहों के संबंध में 1 जनवरी 2022 से अधिकतम 3 वर्षों की संक्रमणकालीन अवधि प्रदान की जानी चाहिए ताकि उन्हें नए अधिकतम आकार का अनुपालन करने के लिए आवश्यक अनुकूलन करने की अनुमति मिल सके।
- (14) उपायों की राष्ट्रीय सूची से संबंधित आवश्यकता का तात्पर्य उन उपायों की पहले से मौजूद राष्ट्रीय सूची में बदलाव करना हो सकता है, जिन्हें अब तक सदस्य राज्यों में विनियमन (ईसी) के अनुपालन में विकसित किया गया है।
संख्या 834/2007 और (ईसी) संख्या 889/2008। इसलिए, 1 जनवरी 2022 से अधिकतम 1 वर्ष की संक्रमण अवधि सभी सदस्य राज्यों के लिए उपायों की मौजूदा राष्ट्रीय सूचियों के संबंध में प्रदान की जानी चाहिए ताकि उन्हें नई आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए आवश्यक सुधार करने या उपायों की अपनी राष्ट्रीय सूचियों को बदलने की अनुमति मिल सके।

(2) जैविक उत्पादन और जैविक उत्पादों की लेबलिंग पर 28 जून 2007 का परिषद विनियमन (ईसी) संख्या 834/2007 और विनियमन (ईईसी) संख्या 2092/91 (ओजे एल 189, 20.7.2007, पृष्ठ 1) को निरस्त करना।

(3) 5 सितम्बर 2008 का आयोग विनियमन (ई.सी.) संख्या 889/2008 जिसमें जैविक उत्पादन, लेबलिंग और नियंत्रण के संबंध में जैविक उत्पादन और जैविक उत्पादों की लेबलिंग पर परिषद विनियमन (ई.सी.) संख्या 834/2007 के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत नियम निर्धारित किए गए हैं (ओ.जे. एल. 250, 18.9.2008, पृ. 1)।

(4) 8 दिसंबर 2008 का आयोग विनियमन (ईसी) संख्या 1235/2008 जिसमें तीसरे देशों से जैविक उत्पादों के आयात की व्यवस्था के संबंध में परिषद विनियमन (ईसी) संख्या 834/2007 के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत नियम निर्धारित किए गए हैं (ओजे एल 334, 12.12.2008, पृष्ठ 25)।

(15) स्पष्टता और कानूनी निश्चितता के हित में, यह विनियमन विनियमन के लागू होने की तारीख से लागू होना चाहिए
(ईयू) 2018/848.

(16) इस विनियमन में दिए गए उपाय जैविक और प्राकृतिक संसाधनों पर समिति की राय के अनुसार हैं।
उत्पादन,

इस विनियमन को अपनाया गया है:

अनुच्छेद 1

अनधिकृत उत्पादों या पदार्थों की उपस्थिति के कारण गैर-अनुपालन के संदेह के मामले में ऑपरेटर द्वारा अपनाए जाने वाले प्रक्रियात्मक कदम

1. यह जाँचने के लिए कि क्या संदेह को विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुच्छेद 28(2)(बी) के अनुसार पुष्ट किया जा सकता है, ऑपरेटर को निम्नलिखित तत्वों को ध्यान में रखना चाहिए:

(क) जहाँ गैर-अनुपालन का संदेह आने वाले जैविक या रूपांतरण उत्पाद से संबंधित है, ऑपरेटर
हवामान जाँच लो:

(i) जैविक या रूपांतरित उत्पाद के लेबल पर दी गई जानकारी और उसके साथ दिए गए निर्देशों की जानकारी
दस्तावेज़ मेल खाते हैं;

(ii) आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रदान किए गए प्रमाण पत्र पर दी गई जानकारी वास्तव में खरीदे गए उत्पाद से संबंधित है;

(ख) जहाँ संदेह हो कि अनधिकृत उत्पादों या पदार्थों की उपस्थिति का कारण ऑपरेटर के नियंत्रण में है, वहाँ ऑपरेटर अनधिकृत उत्पादों या पदार्थों की उपस्थिति के किसी भी संभावित कारण की जाँच करेगा।

2. जब ऑपरेटर सक्षम प्राधिकारी को या जहाँ उपयुक्त हो, विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुच्छेद 28(2)(डी) के अनुसार नियंत्रण प्राधिकरण या नियंत्रण निकाय को किसी पुष्ट संदेह के बारे में सूचित करता है या जब संदेह को समाप्त नहीं किया जा सकता है, तो ऑपरेटर, यदि प्रासंगिक हो और जहाँ उपलब्ध हो, निम्नलिखित तत्व प्रदान करेगा:

(ए) आपूर्तिकर्ता के बारे में जानकारी और दस्तावेज़ (डिलीवरी नोट, चालान, आपूर्तिकर्ता का प्रमाण पत्र,
जैविक उत्पादों के लिए निरीक्षण (सीओआई));

(ख) लॉट पहचान, स्टॉक मात्रा और बेचे गए उत्पाद की मात्रा के साथ उत्पाद की पता लगाने योग्यता;

(ग) प्रासंगिक एवं उपलब्ध होने पर मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से प्रयोगशाला परिणाम;

(घ) नमूना लेने के लिए प्रयुक्त समय, स्थान और विधि का विवरण देने वाली नमूना शीट;

(ई) विशिष्ट गैर-अधिकृत उत्पाद या पदार्थ के संबंध में किसी पूर्व संदेह के बारे में कोई जानकारी;

(च) मामले को स्पष्ट करने के लिए प्रत्येक अन्य प्रासंगिक दस्तावेज़।

अनुच्छेद 2

आधिकारिक जांच की कार्यप्रणाली

1. विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुच्छेद 38(2) के प्रतिकूल प्रभाव के बिना, उस विनियमन के अनुच्छेद 29(1)(ए) में संदर्भित आधिकारिक जांच करते समय, सक्षम प्राधिकारी या, जहाँ उपयुक्त हो, नियंत्रण निकाय या नियंत्रण प्राधिकरण कम से कम निम्नलिखित का निर्धारण करेंगे:

(क) संबंधित जैविक या परिवर्तित उत्पादों का नाम, लॉट पहचान, स्वामित्व और भौतिक स्थान;

(ख) क्या संबंधित उत्पाद अभी भी जैविक या रूपांतरित उत्पादों के रूप में बाजार में उपलब्ध हैं या जैविक रूप में उपयोग किए जाते हैं
उत्पादन;

(ग) वर्तमान गैर-अधिकृत उत्पादों या पदार्थों का प्रकार, नाम, मात्रा और अन्य प्रासंगिक जानकारी;

(घ) उत्पादन, तैयारी, भंडारण या वितरण के किस चरण पर और वास्तव में कहां गैर-अधिकृत उत्पादों या पदार्थों की उपस्थिति का पता चला है, विशेष रूप से पादप उत्पादन के लिए, क्या नमूना फसल-पूर्व या फसल-पश्चात लिया गया था; (ङ) क्या आपूर्ति श्रृंखला में अन्य प्रचालक प्रभावित हुए हैं; (च) जैविक या रूपांतरण उत्पादों और संबंधित प्रचालकों पर पूर्व आधिकारिक जांच के परिणाम।

2. आधिकारिक जांच उचित तरीकों और तकनीकों का उपयोग करके की जाएगी, जिसमें यूरोपीय संसद और परिषद के विनियमन (ईयू) 2017/625 के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 137 (3) में संदर्भित तरीके और तकनीक शामिल हैं (5)।

3. आधिकारिक जांच कम से कम निम्नलिखित पर समाप्त होगी:

(क) जैविक और रूपांतरण उत्पादों की अखंडता; (ख) गैर-अधिकृत उत्पादों या पदार्थों

की उपस्थिति का स्रोत और कारण; (ग) विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुच्छेद 29(2)(क), (ख) और (ग) में दिए गए तत्व।

4. सक्षम प्राधिकारी या, जहां उपयुक्त हो, नियंत्रण प्राधिकारी या नियंत्रण निकाय प्रत्येक आधिकारिक जांच के लिए एक अंतिम रिपोर्ट तैयार करेंगे। उस अंतिम रिपोर्ट में निम्नलिखित शामिल होंगे: (क) इस अनुच्छेद के अनुसार आवश्यक विशिष्ट तत्वों के रिकॉर्ड; (ख) इस आधिकारिक

जांच से संबंधित सक्षम प्राधिकारी, अन्य नियंत्रण प्राधिकारियों और नियंत्रण निकायों और आयोग के साथ आदान-

प्रदान की गई जानकारी के रिकॉर्ड।

अनुच्छेद 3

कुछ संकेतों के उपयोग के लिए शर्तें

1. विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुच्छेद 30(3) में संदर्भित पादप मूल के इन-रूपांतरण उत्पादों के लिए प्रदान किया गया संकेत इस प्रकार दिखाई देगा: (ए) अक्षरों का रंग, आकार और शैली जो उत्पाद के बिक्री विवरण से अधिक

प्रमुख नहीं है, जबकि संपूर्ण संकेत में अक्षरों का आकार समान होगा;

(बी) विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुच्छेद 32(1)(ए) में संदर्भित नियंत्रण प्राधिकरण या नियंत्रण निकाय की कोड संख्या के समान दृश्य क्षेत्र।

2. विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुच्छेद 32(1)(ए) में संदर्भित नियंत्रण प्राधिकरण या नियंत्रण निकाय के कोड नंबर का संकेत यूरोपीय संघ के जैविक उत्पादन लोगो के समान दृश्य क्षेत्र में दिखाई देगा, जहां इसका उपयोग लेबलिंग में किया जाता है।

3. उस स्थान का संकेत जहाँ कृषि कच्चे माल जिससे उत्पाद बना है, खेती की गई है, जैसा कि विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुच्छेद 32 (2) में संदर्भित है, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 2 में संदर्भित कोड संख्या के ठीक नीचे रखा जाएगा।

अनुच्छेद 4

ऑपरेटरों के समूह की संरचना और आयाम

ऑपरेटरों के एक समूह का एक सदस्य किसी दिए गए उत्पाद के लिए केवल एक ही ऑपरेटर समूह में पंजीकरण कराएगा, भले ही ऑपरेटर उस उत्पाद से संबंधित विभिन्न गतिविधियों में संलग्न हो।

ऑपरेटरों के समूह का अधिकतम आकार 2000 सदस्यों का होगा।

(5) यूरोपीय संसद और 15 मार्च 2017 की परिषद के विनियमन (ईयू) 2017/625, खाद्य और चारा कानून, पशु स्वास्थ्य और कल्याण, पौधों के स्वास्थ्य और पौधों के संरक्षण उत्पादों पर नियमों के अनुप्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए किए गए आधिकारिक नियंत्रण और अन्य आधिकारिक गतिविधियों पर, विनियमन (ईसी) संख्या 999/2001, (ईसी) संख्या 396/2005, (ईसी) संख्या 1069/2009, (ईसी) संख्या 1107/2009, (ईयू) में संशोधन करते हैं।
यूरोपीय संसद और परिषद के सं. 1151/2012, (ईयू) सं. 652/2014, (ईयू) 2016/429 और (ईयू) 2016/2031, परिषद विनियम (ईसी) सं. 1/2005 और (ईसी) सं. 1099/2009 और परिषद निर्देश 98/58/ईसी, 1999/74/ईसी, 2007/43/ईसी, 2008/119/ईसी और 2008/120/ईसी, और यूरोपीय संसद और परिषद के विनियम (ईसी) सं. 854/2004 और (ईसी) सं. 882/2004 को निरस्त करना, परिषद निर्देश 89/608/ईसी, 89/662/ईसी, 90/425/ईसी, 91/496/ईसी, 96/23/ईसी, 96/93/ईसी और 97/78/ईसी और परिषद निर्णय 92/438/ईसी (आधिकारिक नियंत्रण विनियमन) (ओजे एल 95, 7.4.2017, पृष्ठ 1)।

अनुच्छेद 5

ऑपरेटरों के एक समूह के दस्तावेज़ और रिकॉर्ड

ऑपरेटरों का समूह आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ और रिकॉर्ड रखेगा

(आईसीएस):

(क) प्रत्येक सदस्य के पंजीकरण के आधार पर ऑपरेटरों के समूह के सदस्यों की सूची जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे
ऑपरेटरों के समूह के प्रत्येक सदस्य के लिए निम्नलिखित तत्व:

(i) नाम एवं पहचान (कोड संख्या);

(ii) संपर्क विवरण; (iii)

पंजीकरण की तारीख; (iv) सदस्य

के प्रबंधन के तहत कुल भूमि सतह और क्या यह जैविक, इन-कन्वर्जन या गैर-जैविक उत्पादन इकाई का हिस्सा है;

(v) प्रत्येक उत्पादन इकाई और/या गतिविधि की जानकारी: आकार, स्थान, जहाँ उपलब्ध हो वहाँ मानचित्र सहित, उत्पाद,
रूपांतरण अवधि और उपज अनुमान की शुरुआत की तारीख; (vi) आईसीएस निरीक्षक के

नाम के साथ अंतिम आंतरिक निरीक्षण की तारीख; (vii) सक्षम प्राधिकारी या, जहां उपयुक्त हो, नियंत्रण

प्राधिकरण या नियंत्रण निकाय द्वारा निरीक्षक के नाम के साथ किए गए अंतिम आधिकारिक नियंत्रण की तारीख;

(viii) सूची की तारीख और संस्करण;

(ख) सदस्य और ऑपरेटरों के समूह के बीच कानूनी व्यक्ति के रूप में हस्ताक्षरित सदस्यता समझौते, जिसमें सदस्य के अधिकार और जिम्मेदारियां शामिल होंगी;

(ग) आईसीएस निरीक्षक और ऑपरेटर समूह के निरीक्षण किए गए सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित आंतरिक निरीक्षण रिपोर्ट और
जिसमें कम से कम निम्नलिखित तत्व शामिल हों:

(i) सदस्य का नाम और उत्पादन इकाई या परिसर का स्थान, जिसमें क्रय और संग्रहण केंद्र शामिल हैं, जहां विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुच्छेद 36(1)(ए) में निर्दिष्ट
गतिविधियां निरीक्षण के अधीन होती हैं;

(ii) आंतरिक निरीक्षण की तिथि तथा प्रारंभ एवं समाप्ति का समय;

(iii) निरीक्षण के निष्कर्ष; (iv) लेखापरीक्षा का

दायरा/परिधि; (v) रिपोर्ट जारी करने की

तारीख; (vi) आंतरिक निरीक्षक का नाम;

(घ) आईसीएस निरीक्षकों के प्रशिक्षण रिकॉर्ड जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

(i) प्रशिक्षण की तिथियां; (ii) प्रशिक्षण

की विषय-वस्तु; (iii) प्रशिक्षक का नाम; (iv) प्रशिक्षु

के हस्ताक्षर; (v) जहां उपयुक्त हो,

अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन;

(ई) ऑपरेटरों के समूह के सदस्यों के प्रशिक्षण रिकॉर्ड;

(च) आईसीएस प्रबंधक द्वारा गैर-अनुपालन के मामले में उठाए गए उपायों के रिकॉर्ड, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

(i) गैर-अनुपालन की स्थिति में सदस्यों पर कार्रवाई की जाएगी, जिसमें निलंबित, वापस लिया गया या पद से हटाए जाने की अपेक्षा की गई कार्रवाई भी शामिल है।
नई रूपांतरण अवधि का अनुपालन करना;

(ii) पहचाने गए गैर-अनुपालन का दस्तावेजीकरण;

(iii) उपायों के अनुवर्तन का दस्तावेजीकरण;

(छ) निम्नलिखित गतिविधियों पर मात्राओं की जानकारी सहित ट्रेसिबिलिटी रिकॉर्ड, जहां प्रासंगिक हो:

(i) समूह द्वारा पौध प्रजनन सामग्री सहित कृषि इनपुट की खरीद और वितरण;

(ii) फसल सहित उत्पादन;

(iii) भंडारण;

(iv) तैयारी;

(v) प्रत्येक सदस्य से संयुक्त विपणन प्रणाली तक उत्पादों की डिलीवरी;

(vi) ऑपरेटरों के समूह द्वारा उत्पादों को बाजार में रखना;

(एच) ऑपरेटरों और उप-ठेकेदारों के समूह के बीच लिखित समझौते और अनुबंध जिसमें उप-अनुबंधित गतिविधियों की प्रकृति के बारे में जानकारी शामिल है;

(i) आईसीएस प्रबंधक की नियुक्ति;

(जे) आईसीएस निरीक्षकों की नियुक्ति तथा आईसीएस निरीक्षकों की सूची।

प्रथम पैराग्राफ के बिंदु (क) में संदर्भित सदस्यों की सूची को बिंदु (क)(i) से (viii) में सूचीबद्ध तत्वों में किसी भी संशोधन के बाद आईसीएस प्रबंधक द्वारा अद्यतन किया जाएगा और यह इंगित किया जाएगा कि आंतरिक निरीक्षण या आधिकारिक नियंत्रण के परिणामस्वरूप गैर-अनुपालन के मामले में उपायों के कारण किसी भी सदस्य को निलंबित या वापस लिया गया है या नहीं।

अनुच्छेद 6

आईसीएस प्रबंधक से सूचनाएं

आईसीएस प्रबंधक निम्नलिखित जानकारी तुरंत सक्षम प्राधिकारी या, जहां उपयुक्त हो, नियंत्रण प्राधिकारी या नियंत्रण निकाय को सूचित करेगा:

(क) किसी बड़े और गंभीर गैर-अनुपालन का संदेह;

(बी) किसी सदस्य या उत्पादन इकाई या परिसर का निलंबन या वापसी, जिसमें खरीद और संग्रह शामिल है केंद्र, समूह से;

(ग) किसी उत्पाद को जैविक या गैर-परिवर्तित रूप में बाजार में रखने पर कोई प्रतिबंध, जिसमें संबंधित सदस्य या सदस्यों का नाम, प्रासंगिक मात्रा और लॉट की पहचान शामिल है।

अनुच्छेद 7

नियंत्रण और नमूनाकरण का न्यूनतम प्रतिशत

न्यूनतम प्रतिशत पर निम्नलिखित नियम विनियमन के अनुच्छेद 38(4) में निर्दिष्ट आधिकारिक नियंत्रणों पर लागू होंगे (ईयू) 2018/848 को प्रत्येक सक्षम प्राधिकारी या, जहां उपयुक्त हो, नियंत्रण प्राधिकरण या नियंत्रण निकाय द्वारा गैर-अनुपालन के जोखिम के अनुसार किया जाना है:

(क) ऑपरेटरों या ऑपरेटरों के समूहों के सभी आधिकारिक नियंत्रणों का न्यूनतम 10% बिना किसी पूर्व सूचना के किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष;

(बी) विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुच्छेद 38(3) में निर्दिष्ट अतिरिक्त नियंत्रणों का न्यूनतम 10% लागू किया जाएगा हर साल बाहर;

(सी) विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुच्छेद 34(2) और 35(8) के अनुसार छूट प्राप्त ऑपरेटरों को छोड़कर, ऑपरेटरों की संख्या का न्यूनतम 5% हर साल विनियमन (ईयू) 2017/625 के अनुच्छेद 14(एच) के अनुसार नमूनाकरण के अधीन होगा;

(घ) ऑपरेटरों के प्रत्येक समूह के न्यूनतम 2% सदस्य अनुच्छेद 14(एच) के अनुसार नमूनाकरण के अधीन होंगे। विनियमन (ईयू) 2017/625 के अनुसार हर साल;

(ई) ऑपरेटरों के समूह के सदस्य कम से कम 5% ऑपरेटर, लेकिन 10 सदस्यों से कम नहीं, हर साल पुनः निरीक्षण के अधीन होंगे। जहां ऑपरेटरों के समूह में 10 या उससे कम सदस्य हैं, वहां सभी सदस्यों को विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुच्छेद 38(3) में संदर्भित अनुपालन के सत्यापन के संबंध में नियंत्रित किया जाएगा।

अनुच्छेद 8

स्थापित गैर-अनुपालन के मामले में उपाय

सक्षम प्राधिकारी विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुच्छेद 41(4) में संदर्भित उपायों की एक राष्ट्रीय सूची विकसित करने के लिए इस विनियमन के अनुबंध I में निर्धारित एकसमान व्यवस्था का उपयोग कर सकते हैं।

उपायों की राष्ट्रीय सूची में कम से कम निम्नलिखित शामिल होंगे:

- (ए) विनियमन (ईयू) 2018/848 या प्रत्यायोजित या के विशिष्ट नियमों के संदर्भ में गैर-अनुपालन की सूची उस विनियमन के अनुसार अपनाए गए कार्यान्वयन अधिनियम;
- (ख) गैर-अनुपालन को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करना: मामूली, प्रमुख और गंभीर, जिसमें कम से कम निम्नलिखित को ध्यान में रखा जाएगा निम्नलिखित मानदंड:
 - (i) विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुच्छेद 28(1) में निर्दिष्ट एहतियाती उपायों का अनुप्रयोग और स्वयं विनियमन (ईयू) 2017/625 के अनुच्छेद 9(1)(डी) में संदर्भित नियंत्रण;
 - (ii) उत्पादों की जैविक या रूपांतरण स्थिति की अखंडता पर प्रभाव;
 - (iii) आपूर्ति श्रृंखला में प्रभावित उत्पाद(उत्पादों) का पता लगाने के लिए ट्रेसिबिलिटी प्रणाली की क्षमता;
 - (iv) सक्षम प्राधिकारी या जहां उपयुक्त हो, नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा पिछले अनुरोधों पर प्रतिक्रिया या नियंत्रण निकाय;
- (ग) गैर-अनुपालन की विभिन्न श्रेणियों के अनुरूप उपाय।

अनुच्छेद 9

जानकारी का आदान - प्रदान

1. विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुच्छेद 43(1) के प्रयोजनों के लिए, सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित नियमों के अनुसार आयोग और अन्य सदस्य राज्यों के साथ सूचनाओं का आदान-प्रदान करने के लिए जैविक खेती सूचना प्रणाली (ओएफआईएस) और इस विनियमन के अनुबंध II में निर्धारित टेम्पलेट्स का उपयोग करेंगे:

- (क) सदस्य राज्य (अधिसूचित सदस्य राज्य) कम से कम निम्नलिखित स्थितियों में आयोग और संबंधित सदस्य राज्य या सदस्य राज्यों (अधिसूचित सदस्य राज्य या सदस्य राज्यों) को अधिसूचित करेगा:
 - (i) जब संदिग्ध या स्थापित गैर-अनुपालन जैविक या रूपांतरण उत्पादों की अखंडता को प्रभावित करता है किसी अन्य सदस्य राज्य से आने वाले;
 - (ii) जब संदिग्ध या स्थापित गैर-अनुपालन विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुच्छेद 45(1) या अनुच्छेद 57 के अनुसार किसी तीसरे देश से आयातित जैविक या रूपांतरण उत्पादों की अखंडता को प्रभावित करता है;
 - (iii) जब संदिग्ध या स्थापित गैर-अनुपालन अधिसूचित सदस्य राज्य से आने वाले जैविक या रूपांतरण उत्पादों की अखंडता को प्रभावित करता है, क्योंकि इसका एक या अधिक अधिसूचित सदस्य पर प्रभाव पड़ सकता है राज्य (चेतावनी अधिसूचना);
- (ख) बिंदु (क) (i) और (ii) में उल्लिखित स्थितियों में अधिसूचित सदस्य राज्य या सदस्य राज्य अधिसूचना प्राप्त होने की तारीख से 30 कैलेंडर दिनों के भीतर जवाब देंगे और आधिकारिक जांच के परिणामों सहित की गई कार्रवाई और उपायों के बारे में सूचित करेंगे और अधिसूचित सदस्य राज्य द्वारा उपलब्ध और/या आवश्यक कोई अन्य जानकारी प्रदान करेंगे;
- (ग) अधिसूचित सदस्य राज्य अधिसूचित सदस्य राज्य या सदस्य राज्यों से किसी भी आवश्यक अतिरिक्त अनुरोध कर सकता है जानकारी;
- (घ) अधिसूचित सदस्य राज्य यथाशीघ्र ओएफआईएस में आवश्यक प्रविष्टियां और अद्यतन करेगा, जिसमें शामिल हैं: अपनी स्वयं की आधिकारिक जांच के परिणामों से संबंधित अद्यतन जानकारी;
- (ई) बिंदु (ए) (ii) में निर्दिष्ट स्थिति में और जब आयोग को किसी सदस्य राज्य द्वारा अधिसूचित किया जाता है, तो आयोग सक्षम प्राधिकारी को, या जहां प्रासंगिक हो, तीसरे देश के नियंत्रण प्राधिकरण या नियंत्रण निकाय को सूचित करेगा।

के विनियमन (ईयू) 2017/625 के अनुच्छेद 32(बी) में उल्लिखित सूचना दायित्व के अलावा, नियंत्रण 2. प्राधिकरण या नियंत्रण निकाय, बिना किसी देरी के, उस सक्षम प्राधिकारी को सूचित करेगा जिसने उसे उस विनियमन अनुच्छेद 4(3) और अनुच्छेद 28(1) या अनुच्छेद 31 के अनुसार कुछ आधिकारिक नियंत्रण कार्य या अन्य आधिकारिक गतिविधियों से संबंधित कुछ कार्य सौंपे हैं, किसी भी संदेह या स्थापित गैर-अनुपालन के बारे में जो जैविक या रूपांतरण उत्पादों की अखंडता को प्रभावित करता है। यह उस सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक कोई अन्य जानकारी भी प्रदान करेगा।

3. विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुच्छेद 43(3) के प्रयोजनों के लिए, जहां ऑपरेटर या ऑपरेटरों के समूह और/या उनके उपठेकेदारों को विभिन्न नियंत्रण प्राधिकरणों या नियंत्रण निकायों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, वे नियंत्रण प्राधिकरण और नियंत्रण निकाय अपने नियंत्रण में संचालन पर प्रासंगिक जानकारी का आदान-प्रदान करेंगे।

4. विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुच्छेद 43(3) के प्रयोजनों के लिए, जहां ऑपरेटर या ऑपरेटरों के समूह और/या उनके उपठेकेदार अपने नियंत्रण प्राधिकरण या नियंत्रण निकाय को बदलते हैं, ऐसे ऑपरेटर और/या संबंधित नियंत्रण प्राधिकरण या नियंत्रण निकाय उस परिवर्तन के बारे में बिना देरी के सक्षम प्राधिकारी को सूचित करेंगे।

नया नियंत्रण प्राधिकरण या नियंत्रण निकाय पिछले नियंत्रण प्राधिकरण या नियंत्रण निकाय से संबंधित ऑपरेटर या ऑपरेटरों के समूह की नियंत्रण फ़ाइल का अनुरोध करेगा। पिछला नियंत्रण प्राधिकरण या नियंत्रण निकाय बिना किसी देरी के नए नियंत्रण प्राधिकरण या नियंत्रण निकाय को संबंधित ऑपरेटर या ऑपरेटरों के समूह की नियंत्रण फ़ाइल सौंप देगा, जिसमें विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुच्छेद 38(6) में संदर्भित लिखित रिकॉर्ड, प्रमाणन की स्थिति, गैर-अनुपालन की सूची और पिछले नियंत्रण प्राधिकरण या नियंत्रण निकाय द्वारा उठाए गए संबंधित उपाय शामिल हैं।

नया नियंत्रण प्राधिकरण या नियंत्रण निकाय यह सुनिश्चित करेगा कि पिछले नियंत्रण प्राधिकरण या नियंत्रण निकाय के अभिलेखों में उल्लिखित गैर-अनुपालनों को ऑपरेटर द्वारा संबोधित किया गया है या किया जाएगा।

5. विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुच्छेद 43(3) के प्रयोजनों के लिए, जहां ऑपरेटर या ऑपरेटरों के समूह ट्रैसिबिलिटी चेक और मास बैलेंस चेक के अधीन हैं, नियंत्रण प्राधिकरण और नियंत्रण निकाय इन जांचों को अंतिम रूप देने की अनुमति देने के लिए प्रासंगिक जानकारी का आदान-प्रदान करेंगे।

6. सक्षम प्राधिकारी उचित उपाय करेंगे तथा प्रलेखित प्रक्रियाएं स्थापित करेंगे, जिससे उनके और उन नियंत्रण प्राधिकारियों तथा/या नियंत्रण निकायों के बीच, जिन्हें उन्होंने कुछ आधिकारिक नियंत्रण कार्य या अन्य आधिकारिक गतिविधियों से संबंधित कुछ कार्य सौंपे हैं या सौंपे हैं, तथा उन नियंत्रण प्राधिकारियों तथा/या नियंत्रण निकायों के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान संभव हो सके।

अनुच्छेद 10

संक्रमणकालीन प्रावधानों

1. तीसरे देशों में ऑपरेटरों के समूह विनियमन (ईसी) संख्या 834/2007, (ईसी) संख्या 889/2008 और (ईसी) का अनुपालन करते हैं इस विनियमन के लागू होने की तिथि से पहले संख्या 1235/2008 के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनियों के लिए, तथा जिनके लिए इस विनियमन के अनुच्छेद 4 के दूसरे पैराग्राफ में निर्धारित ऑपरेटरों के समूह के अधिकतम आकार के संबंध में महत्वपूर्ण प्रशासनिक, कानूनी और संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक हैं, उन्हें 1 जनवरी 2025 से उस प्रावधान का अनुपालन करना होगा।

2. अनुच्छेद 8 के अनुसार विकसित उपायों की राष्ट्रीय सूची 1 जनवरी 2023 से लागू होगी।

अनुच्छेद 11

लागू होना और लागू होना

यह विनियमन यूरोपीय संघ के आधिकारिक जर्नल में प्रकाशन के अगले बीसवें दिन लागू होगा।

यह 1 जनवरी 2022 से लागू होगा।

यह विनियमन सम्पूर्ण रूप से बाध्यकारी होगा तथा सभी सदस्य राज्यों पर प्रत्यक्ष रूप से लागू होगा।

22 फरवरी 2021 को ब्रुसेल्स में सम्पन्न हुआ।

आयोग के लिए

अध्यक्ष

उर्सुला वॉन डेर लेयेन

अनुलग्नक I

अनुच्छेद 8 में उल्लिखित उपायों की राष्ट्रीय सूची के विकास और अनुप्रयोग के लिए एकसमान व्यवस्था

1. सक्षम प्राधिकारी वर्गीकरण के आधार पर गैर-अनुपालन के मामलों को मामूली, प्रमुख या गंभीर के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। अनुच्छेद 8 में दिए गए मानदंड, जब निम्नलिखित में से एक या अधिक स्थितियाँ लागू होती हैं:
- (क) गैर-अनुपालन का मामला मामूली है जब:
- (i) एहतियाती उपाय आनुपातिक और उचित हैं, और ऑपरेटर ने जो नियंत्रण लगाए हैं जगह कुशल हैं;
 - (ii) गैर-अनुपालन से जैविक या रूपांतरित उत्पाद की अखंडता प्रभावित नहीं होती है;
 - (iii) ट्रेसएबिलिटी प्रणाली आपूर्ति श्रृंखला में प्रभावित उत्पाद(उत्पादों) का पता लगा सकती है और जैविक उत्पादन के संदर्भ में उत्पादों को बाजार में रखने पर प्रतिबंध संभव है;
- (ख) गैर-अनुपालन का मामला तब बड़ा है जब:
- (i) एहतियाती उपाय आनुपातिक और उचित नहीं हैं और ऑपरेटर द्वारा लगाए गए नियंत्रण कुशल नहीं हैं;
 - (ii) गैर-अनुपालन से जैविक या रूपांतरित उत्पाद की अखंडता प्रभावित होती है;
 - (iii) ऑपरेटर ने किसी छोटी-सी गैर-अनुपालन को समय पर ठीक नहीं किया;
 - (iv) ट्रेसएबिलिटी प्रणाली आपूर्ति श्रृंखला में प्रभावित उत्पाद(उत्पादों) का पता लगा सकती है और जैविक उत्पादन के संदर्भ में उत्पादों को बाजार में रखने पर प्रतिबंध संभव है;
- (ग) गैर-अनुपालन का मामला तब गंभीर हो जाता है जब:
- (i) एहतियाती उपाय आनुपातिक और उचित नहीं हैं और ऑपरेटर द्वारा लगाए गए नियंत्रण कुशल नहीं हैं;
 - (ii) गैर-अनुपालन से जैविक या रूपांतरित उत्पाद की अखंडता प्रभावित होती है;
 - (iii) ऑपरेटर पिछले प्रमुख गैर-अनुपालन को ठीक करने में विफल रहता है या बार-बार अन्य श्रेणियों को ठीक करने में विफल रहता है गैर-अनुपालन;
 - (iv) आपूर्ति श्रृंखला में प्रभावित उत्पाद(उत्पादों) का पता लगाने के लिए ट्रेसएबिलिटी प्रणाली से कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है तथा जैविक उत्पादन के संदर्भ में उत्पादों को बाजार में रखने पर प्रतिबंध संभव नहीं है।

2. उपाय

सक्षम प्राधिकारी या, जहां उपयुक्त हो, नियंत्रण प्राधिकारी या नियंत्रण निकाय गैर-अनुपालन के मामलों की सूचीबद्ध श्रेणियों के लिए आनुपातिक तरीके से निम्नलिखित उपायों में से एक या अधिक को लागू कर सकते हैं:

गैर-अनुपालन की श्रेणी	उपाय
नाबालिग	ऑपरेटर द्वारा गैर-अनुपालन के सुधार पर निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य योजना प्रस्तुत करना
प्रमुख	विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुच्छेद 42(1) के अनुसार संबंधित संपूर्ण लॉट या उत्पादन रन (प्रभावित फसल या पशु) के लेबलिंग और विज्ञापन में जैविक उत्पादन का कोई संदर्भ नहीं है। नई रूपांतरण अवधि आवश्यक प्रमाणपत्र के दायरे की सीमा

	अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेटर द्वारा लागू किए गए एहतियाती उपायों और नियंत्रणों के कार्यान्वयन में सुधार
गंभीर	विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुच्छेद 42(1) के अनुसार संबंधित संपूर्ण लॉट या उत्पादन रन (प्रभावित फसल या पशु) के लेबलिंग और विज्ञापन में जैविक उत्पादन का कोई संदर्भ नहीं है। विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुच्छेद 42(2) के अनुसार एक निश्चित अवधि के लिए जैविक उत्पादन को संदर्भित करने वाले उत्पादों के विपणन पर प्रतिबंध नई रूपांतरण अवधि आवश्यक प्रमाणपत्र के दायरे की सीमा प्रमाणपत्र का निलंबन प्रमाण पत्र वापस लेना

अनुलग्नक II

अनुच्छेद 9 में उल्लिखित OFIS टेम्पलेट

1. संदिग्ध या स्थापित गैर-अनुपालन पर मानक अधिसूचना के लिए टेम्पलेट

*प्रथम भाषा:

द्वितीय भाषा:

ए. अधिसूचित करने वाला सदस्य राज्य:

1) देश:

2) सक्षम प्राधिकारी - संपर्क विवरण:

*3) अधिसूचना की तिथि (दिन/मास/वर्ष):

*4) संदर्भ

बी. अधिसूचित सदस्य राज्य या सदस्य राज्य:

*1) देश/देश:

2) सक्षम प्राधिकारी/प्राधिकारी - संपर्क विवरण:

सी. उत्पाद:

*1) उत्पाद की श्रेणी:

*2) उत्पाद/व्यापार नाम:

*3) मूल देश:

4) उत्पाद का विवरण (पैकेजिंग का आकार और रूप, आदि) - कृपया कॉपी या स्कैन की गई सील या लेबल संलग्न करें:

5) लॉट की पहचान (जैसे लॉट संख्या, डिलीवरी संख्या, डिलीवरी तिथि, आदि):

6) अन्य जानकारी:

डी. पता लगाने योग्यता:

कृपया सम्पूर्ण आपूर्ति श्रृंखला का विस्तार से वर्णन करें:

1) निर्माता - संपर्क विवरण - सक्षम प्राधिकारी या, जहां उपयुक्त हो, नियंत्रण प्राधिकारी या नियंत्रण निकाय:

2) मूल देश में प्रसंस्करणकर्ता/विक्रेता - संपर्क विवरण - सक्षम प्राधिकारी या, जहां उपयुक्त हो, नियंत्रण प्राधिकारी या नियंत्रण निकाय:

3) अधिसूचित देश में आयातक - संपर्क विवरण - सक्षम प्राधिकारी या, जहां उपयुक्त हो, नियंत्रण प्राधिकारी या नियंत्रण निकाय:

4) थोक विक्रेता - संपर्क विवरण - सक्षम प्राधिकारी या, जहां उपयुक्त हो, नियंत्रण प्राधिकारी या नियंत्रण निकाय:

5) अधिसूचित देश में खुदरा विक्रेता या अन्य ऑपरेटर, जहां गैर-अनुपालन पाया गया है - संपर्क विवरण - सक्षम प्राधिकारी या, जहां उपयुक्त हो, नियंत्रण प्राधिकारी या नियंत्रण निकाय:

प्राधिकारी:

अन्य कलाकार:

ई. गैर-अनुपालन, गैर-अनुपालन का संदेह, उठाई गई अन्य समस्या:

*1) गैर-अनुपालन की प्रकृति/गैर-अनुपालन का संदेह/उठाई गई अन्य समस्या।

कौन सी गैर-अनुपालन/गैर-अनुपालन का संदेह/उठाई गई अन्य समस्या की पहचान की गई है?

*किस पहलू में यह यूरोपीय संसद और परिषद (1) के विनियमन (ईयू) 2018/848 के साथ उठाए गए गैर-अनुपालन/गैर-अनुपालन का संदेह/अन्य समस्या का प्रतिनिधित्व करता है?:

2) गैर-अनुपालन का पता लगाने/गैर-अनुपालन का संदेह/उठाई गई अन्य समस्या का संदर्भ - कृपया संलग्न करें चालान या अन्य सहायक दस्तावेज़ों की प्रतिलिपि:

गैर-अनुपालन का पता लगने की तिथि/गैर-अनुपालन का संदेह/उठाई गई अन्य समस्या (दिनांक/माह/वर्ष):

गैर-अनुपालन का पता लगने/गैर-अनुपालन का संदेह/उठाई गई अन्य समस्या का स्थान:

3) नमूनों/परीक्षणों का विश्लेषण (यदि कोई हो) - कृपया विश्लेषण रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न करें:

नमूनाकरण/परीक्षण की तिथि (दिन/माह/वर्ष):

नमूनाकरण/परीक्षण का स्थान:

विश्लेषण की तिथि - रिपोर्ट (दिनांक/माह/वर्ष):

विवरण (प्रयोगशाला का नाम, प्रयुक्त विधियाँ, परिणाम):

पाये गये पदार्थों के नाम:

पता लगाए गए अवशेषों का स्तर:

क्या सामान्यतः भोजन (या चारे) में सीमा से ऊपर का स्तर स्वीकार्य है?

क्या GMO-सामग्री की लेबलिंग का स्तर पार हो गया है?

एफ. बाजार प्रभाव:

1) क्या उत्पाद को बाजार से वापस ले लिया गया है, अवरुद्ध कर दिया गया है या विपणन कर दिया गया है?

2) किन अभिनेताओं को पहले ही सूचित कर दिया गया है?

3) क्या अन्य सदस्य देश भी इससे प्रभावित हैं? यदि हां, तो कौन से सदस्य देश?

जी. उठाए गए कदम:

1) क्या कोई स्वैच्छिक उपाय किए गए हैं (उत्पाद/ऑपरेटर/बाज़ार पर)?

2) क्या कोई अनिवार्य उपाय किये गये हैं?

3) उपायों का दायरा क्या है (राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, निर्यात, आदि)?

4) लागू होने की तिथि: (दिन/माह/वर्ष):

5) अवधि (महीनों में):

6) उपायों का औचित्य/कानूनी आधार:

7) किस सक्षम प्राधिकारी या, जहां उपयुक्त हो, नियंत्रण प्राधिकारी या नियंत्रण निकाय ने उपायों को अपनाया है?

एच. अन्य जानकारी/मूल्यांकन:

I. अनुलग्नक:

उत्पाद के कॉपी या स्कैन किए गए दस्तावेज़ (सील, लेबल, आदि)। चालान, दस्तावेज़ी खाते या परिवहन या डिलीवरी ऑर्डर के दस्तावेज़ की प्रतिलिपि। विश्लेषण रिपोर्ट और/या कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज़:

(1) जैविक उत्पादन और जैविक उत्पादों की लेबलिंग पर यूरोपीय संसद और परिषद के 30 मई 2018 के विनियमन (ईयू) 2018/848 और परिषद विनियमन (ईसी) संख्या 834/2007 (ओजे एल 150, 14.6.2018, पृष्ठ 1) को निरस्त करना।

2. संदिग्ध या स्थापित गैर-अनुपालन पर एक मानक अधिसूचना के लिए एक मानक उत्तर के लिए टेम्पलेट

*प्रथम भाषा:

द्वितीय भाषा:

उत्तर का संस्करण:

ए. अधिसूचित सदस्य राज्य:

1) देश:

2) सक्षम प्राधिकारी - संपर्क विवरण:

*3) दिनांक (दिन/माह/वर्ष):

*4) संदर्भ:

बी. अधिसूचना:

1) देश:

2) सक्षम प्राधिकारी - संपर्क विवरण:

*3) अधिसूचना की तिथि (दिन/मास/वर्ष):

*4) अधिसूचना का संदर्भ (अधिसूचना के बिंदु ए.4 के समान):

*5) उत्पाद:

6) गैर-अनुपालन/गैर-अनुपालन का संदेह/उठाई गई अन्य समस्या:

सी. जांच

1) कौन सा सक्षम प्राधिकारी या, जहां उपयुक्त हो, नियंत्रण प्राधिकारी और/या नियंत्रण निकाय जांच के प्रभारी हैं/थे?

2) विभिन्न ऑपरेटरों और सक्षम प्राधिकारियों के बीच सहयोग का वर्णन करें या जहां उपयुक्त हो, नियंत्रण करें
विभिन्न देशों में सम्मिलित प्राधिकरण(या प्राधिकरण) और/या नियंत्रण निकाय(या निकाय) (यदि कोई हो)?

3) कौन सी जांच पद्धति/प्रक्रियाएं इस्तेमाल की गई हैं?

उदाहरण के लिए, क्या संबंधित ऑपरेटरों को किसी विशिष्ट नियंत्रण के अधीन कर दिया गया है?

क्या नमूने लिये गये हैं और उनका विश्लेषण किया गया है?

4) जांच का नतीजा क्या है?

निरीक्षणों/विश्लेषणों (यदि कोई हो) के परिणाम क्या हैं?

क्या गैर-अनुपालन/गैर-अनुपालन का संदेह/उठाई गई अन्य समस्या का मूल कारण स्पष्ट हो गया है?

गैर-अनुपालन/गैर-अनुपालन का संदेह/उठाई गई अन्य समस्या की गंभीरता पर आपका आकलन क्या है?

5) संदूषण/गैर-अनुपालन/गैर-अनुपालन का संदेह/अन्य समस्या का मूल पता लगाएं और
क्या अभिनेताओं की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से पहचानी और स्थापित की गई है?

क्या पहचाने गए ऑपरेटर पिछले 3 वर्षों में अन्य गैर-अनुपालन/गैर-अनुपालन के संदेह/उठाए गए अन्य समस्या मामलों में शामिल रहे हैं?

डी. उपाय और दंड:

*1) क्या निवारक और सुधारात्मक उपाय किए गए हैं (जैसे कि उत्पाद के वितरण/परिसंचरण के संबंध में)
संघीय बाजार और तीसरे देश के बाजार)?:

2) गैर-अनुपालन/गैर-अनुपालन के संदेह/उठाई गई अन्य समस्या के मामले में क्या कार्रवाई की गई?

ऑपरेटर और/या संबंधित उत्पाद? (2):

*कार्रवाई का तरीका (लिखित रूप, चेतावनी, आदि)?: क्या उत्पादक/

प्रसंस्करणकर्ता का प्रमाणीकरण सीमित, निलंबित या वापस लिया गया था?: कार्रवाइयों के लागू होने की तिथि (यदि

कोई हो) (दिन/माह/वर्ष):

कार्रवाई की अवधि (यदि कोई हो) (महीनों में):

सक्षम प्राधिकारी या, जहां उपयुक्त हो, नियंत्रण प्राधिकारी और/या नियंत्रण निकाय जिसने कार्यवाही को अपनाया और लागू किया (यदि कोई हो):

3) क्या संबंधित ऑपरेटरों के यहां अतिरिक्त निरीक्षण की योजना बनाई गई है?

4) सक्षम प्राधिकारी या, जहां उपयुक्त हो, नियंत्रण प्राधिकारी या नियंत्रण निकाय ऐसे ही मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए अन्य क्या उपाय करने की योजना बना रहे हैं?

ई. अन्य जानकारी:

एफ. अनुलग्नक:

3. अलर्ट अधिसूचना के लिए टेम्पलेट

1. अलर्ट की उत्पत्ति और स्थिति

सचेत करने वाला देश:

सक्षम प्राधिकारी: 2. सचेत

किया गया देश या देश 3. गैर-अनुपालन,

धोखाधड़ी,	सक्षम प्राधिकारी	समन्वयक	दायरा
-----------	------------------	---------	-------

अन्य मुद्दे और उसका संदेह (इसके बाद "गैर-अनुपालन")

शीर्षक:

विवरण: गैर-

अनुपालन की गंभीरता पर आपका क्या आकलन है?

किन अभिनेताओं को पहले ही सूचित कर दिया गया है?

पता लगाने का संदर्भ

तारीख:

जगह:

गैर-अनुपालन का पता लगाने वाला व्यक्ति/संस्था: संघीय

कानून दांव पर (संदर्भ): 4. उत्पाद ट्रेसिबिलिटी विवरण

नाम:

ब्रांड/व्यापार नाम:

अन्य पहलू:

प्रेषण

माल/लॉट/डिलीवरी संख्या:

उद्गम देश:

कुल शुद्ध/सकल वजन, आयतन:

अन्य सूचना:

आपूर्ति श्रृंखला - ऑपरेटरों का विवरण (नाम - प्रकार - संपर्क विवरण - नियंत्रण निकाय/नियंत्रण प्राधिकरण (संपर्क विवरण के साथ))

5. उठाए गए कदम

0. अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई (कृपया कारण बताएं)

1. उत्पाद को बाजार में लाने पर प्रतिबंध (आधार - दिनांक - मात्रा)

2. उत्पाद को पारंपरिक में डाउनग्रेड करना (आधार - दिनांक - मात्रा - से/तक)

3. ऑपरेटर के प्रमाणपत्र का निलंबन (से/तक - दायरा)

4. ऑपरेटर का अप्रमाणन (दिनांक से)

5. अन्य उपाय (कृपया बताएं)

6. अन्य जानकारी

7. फ़ाइलें

4. संदिग्ध या स्थापित गैर-अनुपालन पर एक मानक अंतरराष्ट्रीय अधिसूचना के लिए टेम्पलेट

अधिसूचित करने वाला देश:

देश:

अधिसूचित अभिनेता का विवरण:

अधिसूचित अभिनेता प्रकार:

अभिनेता कोड:

अभिनेता संस्करण:

नाम:

गली:

पोस्टकोड:

इलाका:

टेलीफ़ोन:

मेल:

फैक्स

वेबसाइट की लिंक:

यूआरएल साइट:

टिप्पणियाँ:

एक उत्पाद:

*1) मूल देश:

*2) उत्पाद की श्रेणी:

*3) उत्पाद/व्यापार नाम:

4) उत्पाद का विवरण (पैकेजिंग का आकार और रूप, आदि) - कृपया कॉपी या स्कैन की गई सील या लेबल संलग्न करें:

5) लॉट की पहचान (जैसे लॉट संख्या, डिलीवरी संख्या, डिलीवरी तिथि, आदि):

6) अन्य जानकारी:

बी. पता लगाने योग्यता:

कृपया सम्पूर्ण आपूर्ति श्रृंखला का विस्तार से वर्णन करें:

1) निर्माता - संपर्क विवरण - नियंत्रण प्राधिकरण या नियंत्रण निकाय:

2) मूल देश में प्रसंस्करणकर्ता/विक्रेता/निर्यातक - संपर्क विवरण - नियंत्रण प्राधिकरण या नियंत्रण निकाय:

3) अधिसूचित देश में आयातक - संपर्क विवरण - नियंत्रण प्राधिकरण या नियंत्रण निकाय:

4) थोक विक्रेता - संपर्क विवरण - नियंत्रण प्राधिकरण या नियंत्रण निकाय:

5) अधिसूचित देश में खुदरा विक्रेता या अन्य ऑपरेटर, जहां गैर-अनुपालन पाया गया है - संपर्क विवरण - नियंत्रण प्राधिकरण या नियंत्रण निकाय:

प्राधिकारी:

अन्य कलाकार:

सी. गैर-अनुपालन, गैर-अनुपालन का संदेह, उठाई गई अन्य समस्या:

*1) गैर-अनुपालन की प्रकृति/गैर-अनुपालन का संदेह/उठाई गई अन्य समस्या।

कौन सी गैर-अनुपालन/गैर-अनुपालन का संदेह/उठाई गई अन्य समस्या की पहचान की गई है?

*किस पहलू में यह यूरोपीय संसद और परिषद (3) के विनियमन (ईयू) 2018/848 के साथ उठाए गए गैर-अनुपालन/गैर-अनुपालन का संदेह/अन्य समस्या का प्रतिनिधित्व करता है?:

2) गैर-अनुपालन का पता लगाने/गैर-अनुपालन का संदेह/उठाई गई अन्य समस्या का संदर्भ - कृपया संलग्न करें चालान या अन्य सहायक दस्तावेजों की प्रतिलिपि:

गैर-अनुपालन का पता लगने की तिथि/गैर-अनुपालन का संदेह/उठाई गई अन्य समस्या (दिनांक/माह/वर्ष):

गैर-अनुपालन का पता लगने/गैर-अनुपालन का संदेह/उठाई गई अन्य समस्या का स्थान:

3) नमूनों/परीक्षणों का विश्लेषण (यदि कोई हो) - कृपया विश्लेषण रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न करें:

नमूनाकरण/परीक्षण की तिथि (दिन/माह/वर्ष):

नमूनाकरण/परीक्षण का स्थान:

विश्लेषण की तिथि - रिपोर्ट (दिनांक/माह/वर्ष):

विवरण (प्रयोगशाला का नाम, प्रयुक्त विधियाँ, परिणाम):

पाये गये पदार्थों के नाम:

पता लगाए गए अवशेषों का स्तर:

क्या सामान्यतः भोजन (या चारे) में सीमा से ऊपर का स्तर स्वीकार्य है?

क्या GMO-सामग्री की लेबलिंग का स्तर पार हो गया है?

डी. बाजार प्रभाव:

1) क्या उत्पाद को बाजार से वापस ले लिया गया है, अवरुद्ध कर दिया गया है?

2) किन अभिनेताओं को पहले ही सूचित कर दिया गया है?

3) क्या अन्य सदस्य देश भी इससे प्रभावित हैं? यदि हां, तो कौन से सदस्य देश?

ई. उठाए गए कदम:

1) क्या कोई स्वैच्छिक उपाय किए गए हैं (उत्पाद/ऑपरेटर/बाज़ार पर)?

2) क्या कोई अनिवार्य उपाय किये गये हैं?

3) उपायों का दायरा क्या है (राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, निर्यात, आदि)?

4) लागू होने की तिथि: (दिन/माह/वर्ष):

5) अवधि (महीनों में):

(3) जैविक उत्पादन और जैविक उत्पादों की लेबलिंग पर यूरोपीय संसद और परिषद के 30 मई 2018 के विनियमन (ईयू) 2018/848 और परिषद विनियमन (ईसी) संख्या 834/2007 (ओजे एल 150, 14.6.2018, पृष्ठ 1) को निरस्त करना।

6) उपायों का औचित्य/कानूनी आधार:

7) किस नियंत्रण प्राधिकरण या नियंत्रण निकाय ने उपायों को अपनाया है?: अन्य जानकारी/

मूल्यांकन:

जी. अनुलग्नक:

उत्पाद के कॉपी या स्कैन किए गए दस्तावेज़ (सील, लेबल, आदि)। चालान, दस्तावेज़ी खाते या परिवहन या डिलीवरी ऑर्डर के दस्तावेज़ की प्रतिलिपि। विश्लेषण रिपोर्ट और/या कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज़:

(*) अनिवार्य क्षेत्र।
